यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

ग्रामीण एवं कृषि कारोबार विभाग

केन्द्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पाइंट, मुम्बई - 400021

सूचना परिपत्र क्रमांक 11922 दिनांक : 22.11.2013

प्रति,

समस्त शाखाएं/कार्यालय :

विषय : वित्त वर्ष 2013-14 में कृषि ऋण के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना

प्रमुख बातें :

- **अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष की 3 शाखाओं को नकद प्रोत्साहन राशि रु.50,000/-, 40,000/- एवं 35,000/-**
- **प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शीर्ष पर आने वाली 3 शाखाओं को नकद प्रोत्साहन राशि 25,000/-, 23,000/- एवं 20,000/-**
- **अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष के 3 क्षेत्रीय कार्यालयों को नकद प्रोत्साहन राशि रु. 25,000/-, 20,000/- एवं 18,000/-**
- **अंचल स्तर पर शीर्ष पर आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को नकद प्रोत्साहन राशि रु. 15,000/- प्रत्येक अंचल में एक क्षेत्र.**

1. बैंक द्वारा कृषि हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने वाले एवं प्रभावी कार्यनिष्पादन करने वाले उत्कृष्ट कार्यनिष्पादकों हेतु विगत वर्ष प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गयी थी. क्षेत्र कर्मियों द्वारा इसे काफी सराहा गया था और वित्त वर्ष 2012-13 में हमारे बैंक का प्रत्यक्ष कृषि एवं कुल कृषि अग्रिम 34.35% एवं 31.35% क्रमानुसार प्रगति हुई.

2. बेंचमार्क को प्राप्त करने उनके द्वारा अधिक प्रयास करने हेतु क्षेत्र कर्मियों को प्रोत्साहित करने एवं उनके उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु उन्हें पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहन योजना को इस वर्ष भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है. क्षेत्र के फीडबैक के आधार पर योजना के अन्तर्गत विजेताओं के चयन की पद्धति में आवश्यक संशोधन किये गये हैं.

   योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

3. **योजना का उद्देश्य :**

   कृषि ऋण को बढ़ाने में लगे हुए शाखाओं में कार्यरत स्टाफ सदस्यों की पहचान करना, सम्मान देना, प्रेरित करना एवं उपयुक्त पुरस्कार प्रदान करना योजना का उद्देश्य है.

4. **लक्षित समूह :**

   शाखाओं में शाखा प्रबंधक एवं ग्रामीण विकास अधिकारी(आरडीओ) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विभाग के प्रभारी.

5. **अभियान अवधि :**

   01.10.2013 से 31.03.2014 तक अभियान अवधि होगी.

6. **<u>शाखाओं द्वारा कमाए गये प्वाइंट की गणना पद्धति :</u>**

6.1 कार्यनिष्पादन का न्यूनतम स्तर अभियान अवधि में संवितरित एवं स्वीकृत खातों से लिंक किया जाएगा.

6.2 प्रत्यक्ष ऋण (उत्पादन ऋण एवं निवेश ऋण) के अन्तर्गत अभियान अवधि में रु. 20,000/- के प्रत्येक नये संवितरण हेतु 1 प्वाइंट दिया जाएगा.

6.3 अप्रत्यक्ष ऋण के अन्तर्गत अभियान अवधि में रु. 50,000/- के प्रत्येक नये संवितरण हेतु 1 प्वाइंट दिया जाएगा.

6.4 31.03.2014 की बकाया राशि में 31.03.2013 से ऊपर प्रतिशत प्राप्त करने वाली शाखाओं को निम्नानुसार अतिरिक्त प्वाइंट दिये जाएंगे :

अ)	15 -20 % की प्रगति दर्ज करने वाली शाखाएं	-	अतिरिक्त 300 प्वाइंट
ब)	20% से अधिक 25 % की प्रगति दर्ज करने वाली शाखाएं	-	अतिरिक्त 500 प्वाइंट
स)	25 % से अधिक प्रगति दर्ज करने वाली शाखाएं	-	अतिरिक्त 750 प्वाइंट

6.5 शाखाओं द्वारा अर्जित किये गये कुल प्वाइंट में उक्त कमाए गए प्वाइंट को जोड़ा जाएगा.

7. **<u>पुरस्कारों की श्रेणी</u>** :

7.1 **<u>"अखिल भारतीय स्तर की शीर्ष शाखा"</u>** : उपर्युक्त अनुसार 3 शाखाओं द्वारा अर्जित प्वाइंट के आधार पर पूरे भारत में **"अखिल भारतीय स्तर की शीर्ष शाखा"** का चयन किया जाएगा.

7.2 " **<u>क्षेत्र में शीर्ष पर आने वाली शाखा</u>** " : उपर्युक्त अनुसार शाखाओं द्वारा अर्जित प्वाइंट के आधार पर क्षेत्र में सबसे अधिक प्वाइंट अर्जित करने वाली 3 शाखाओं को " **क्षेत्र में शीर्ष शाखा** " का चयन किया जाएगा

7.3 **<u>"अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष के क्षेत्रीय कार्यालय"</u>** : क्षेत्रों की सभी शाखाओं द्वारा अर्जित किये गये प्वाइंट के योग के आधार पर सबसे अधिक प्वाइंट अर्जित करने वाले 3 क्षेत्रीय कार्यालयों को **"अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष का क्षेत्रीय कार्यालय"** के रूप में चयनित किया जाएगा.

7.4 **<u>" अंचल में शीर्ष पर आने वाला क्षेत्रीय कार्यालय " :</u>** अंचल के सभी क्षेत्रों द्वारा अर्जित किये गये प्वाइंट के योग के आधार पर, सबसे अधिक प्वाइंट अर्जित करने वाले प्रत्येक अंचल में 1 क्षेत्रीय कार्यालय को " **अंचल में शीर्ष पर आने वाला क्षेत्रीय कार्यालय** " के रुप में चयनित किया जाएगा.

8. **<u>पात्रता आधार</u>** :

8.1 देश की सभी शाखाएं चाहे वे जहां पर स्थित हों, योजना में भाग ले सकती हैं.

8.2 तथापि योजना के अन्तर्गत उत्तीर्ण होने के शाखाओं को अभियान अवधि में कृषि के अन्तर्गत न्यूनतम रु. 1.50 करोड़ का संवितरण होना चाहिए जिसमें रु.1.00 करोड़ प्रत्यक्ष कृषि के अन्तर्गत किया गया होना चाहिए.

8.3 योजना में पात्र होने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अभियान अवधि में कृषि के अन्तर्गत रु. 50.00 करोड़ संवितरित करने होंगे जिसमें रु.30.00 करोड़ प्रत्यक्ष कृषि के अन्तर्गत होना चाहिए.

8.4 01.10.2013 से पहले एवं 31.03.2014 के बाद स्वीकृत खातों में किया गया संवितरण प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र नही है.

9. **<u>शाखाओं द्वारा प्वाइंट अर्जित का उदाहरण</u>** : अभियन अवधि यदि शाखा निम्नानुसार संवितरित करती है :

9.1 प्रत्यक्ष कृषि के अन्तर्गत रु. 3.00 करोड़

- अर्जित प्वाइंट (अ) = रु. 3,00,00,000/20,000 = 1500 प्वाइंट

9.2 अप्रत्यक्ष कृषि के अन्तर्गत रु. 1.00 करोड़

- अर्जित प्वाइंट (बा) = रु. 1,00,00,000/50,000 = 200 प्वाइंट

9.3 शाखा का बकाया 31.03.2013 के रु.5.00 करोड़ का स्तर 31.03.2014 को रु. 6.50 अर्थात 31.03.2013 के ऊपर 30% बढ़ता है :

- अतिरिक्त अर्जित प्वाइंट (स) = 750 प्वाइंट

9.4 शाखा द्वारा उक्त अनुसार कुल अ+ब+स अर्थात 1500+200+750=2450 अर्जित प्वाइंट होंगे.

10. **<u>विजेताओं का चयन</u>** :

10.1 यदि कोई शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय एक संवर्ग में विजेता होता है तो प्रोत्साहन हेतु किसी दूसरे संवर्ग के लिये पात्र नही होगा.

10.2 ऐसे मामले में श्रेणी में आने वाली अगली शाखा संवर्ग के अन्तर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी.

11. **<u>प्रोत्साहन का बटवारा</u>** :

11.1 शाखा प्रबंधक एवं ग्रामीण विकास अधिकारी (आरडीओ) 55:45 के अनुपात में प्रोत्साहन राशि बांटेगें.

11.2 यदि किसी शाखा में 2 आरडीओ की पदस्थी है तो शाखा प्रबंधक को 40% एवं प्रत्येक आरडीओ 30% - 30% मिलेगा.

11.3 जिन शाखाओं में एक भी आरडीओ पदस्थ नही है वहां अभियान अवधि में शाखा प्रबंधक को कृषि ऋण बढ़ाने में सहयोग देने वाले ऋण विभाग/टीम सदस्य के बीच 50:50 के अनुपात में प्रोत्साहन राशि का बटवारा किया जाएगा.

11.4 "शीर्ष क्षेत्रीय कार्यालयों" में अभियान अवधि में कृषि ऋणों को बढ़ाने वाले क्षेत्रीय कार्यालय के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के प्रभारी को प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी.

11.5 यदि अभियान अवधि में शाखा प्रबंधक/आरडीओ/अधिकारियों का शाखा/कार्यालय से स्थानान्तरण हो जाता है एवं वह शाखा/कार्यालय प्रोत्साहन हेतु चुना जाता है तो प्रोत्साहन राशि का बटवारा अभियान अवधि में उनके शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय में सेवा अवधि के अनुसार किया जाएगा.

12. **प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी :**

12.1 उपर्युक्त के अनुसार तैयार की गयी श्रेणियों के आधार प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति हेतु महाप्रबंधक, ग्रामीण एवं कृषि कारोबार विभाग (आरएबीडी) सक्षम प्राधिकारी होंगे.

12.2 विजेताओं के चयन हेतु प्वाइंट की गणना केन्द्रीय कार्यालय में केवल एमआईएस में जनरेट की गयी रिपोर्ट के अनुसार ही की जाएगी.

13. **विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि की मात्रा :**

अखिल भारतीय स्तर पर चयनित 3 शाखाएं **"अखिल भारतीय स्तर की शीर्ष की शाखाएं"**

श्रेणी	विजेताओं की संख्या	प्रोत्साहन राशि
प्रथम	1	50,000/- का नकद पुरस्कार
द्वितीय	1	40,000/- का नकद पुरस्कार
तृतीय	1	35,000/- का नकद पुरस्कार
कुल		**रु. 1,25,000/-**

- चयनित 3 शाखाओं के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय - **"शीर्ष शाखा का क्षेत्रीय कार्यालय"**

श्रेणी	विजेताओं की संख्या	प्रोत्साहन राशि	कुल
प्रथम	62	25,000/- का नकद पुरस्कार	62Xरु.25,000=रु.15,50,000/-
द्वितीय	62	23,000/- का नकद पुरस्कार	62Xरु.23,000=रु.14,26,000/-
तृतीय	62	20,000/- का नकद पुरस्कार	62Xरु.20,000=रु.12,40,000/-
कुल			**र. 42,16,000/-**

- अखिल भारतीय स्तर पर चयनित 3 क्षेत्रीय कार्यालय **"अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष का क्षेत्रीय कार्यालय"**

श्रेणी	विजेताओं की संख्या	प्रोत्साहन राशि
प्रथम	1	25,000/- का नकद पुरस्कार
द्वितीय	1	20,000/- का नकद पुरस्कार
तृतीय	1	18,000/- का नकद पुरस्कार
कुल		**रु. 63,000/-**

- प्रत्येक अंचल से एक क्षेत्रीय कार्यालय का चयन **"अंचल में शीर्ष पर आने वाला क्षेत्रीय कार्यालय"**

श्रेणी	विजेताओं की संख्या	प्रोत्साहन राशि	कुल
प्रथम	10	15,000/- का नकद पुरस्कार	10Xरु.21,000=रु.1,50,000/-
कुल			**रु. 1,50,000/-**

उक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुल 189 शाखाओं एवं 13 क्षेत्रीय कार्यालयों प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी.

14. **अंचलीय कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका :**

- अंचल प्रमुखों/क्षेत्र प्रमुखों को इस प्रोत्साहन योजना को शाखाओं में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के मध्य अधिकाधिक प्रचारित कराएं एवं उनकी गहन सहभागिता सुनिश्चित कराएं.
- क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र स्तर पर एक टीम का गठन करें जो उनके क्षेत्राधीन शाखाओं में कृषि ऋणों में वृद्धि की प्रगति का अनुश्रवण करेगी एवं उनका मार्गदर्शन करेगी.

15. **शाखा अधिकारियों की भूमिका :**

शाखा प्रबंधकों एवं ग्रामीण विकास अधिकारियों (आरडीओ) को अभियान अवधि में कृषि वित्तीयन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ताकि कृषि के अन्तर्गत अधिक से अधिक नये खाते खोल सकें एवं स्वीकृत कर सकें जिससे कृषि क्षेत्र में ऋण की वृद्धि हो सके.

महाप्रबंधक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank** *of India*

RURAL & AGRI-BUSINESS DEPARTMENT

239, VIDHAN BHAVAN MARG, NARIMAN POINT, MUMBAI-400 021

INFORMATION CIRCULAR: 11922 **DATE:** 22 **November 2013**

TO
ALL BRANCHES/ OFFICES

INCENTIVE SCHEME FOR OUTSTANDING
PERFORMANCE IN LENDING TO AGRICULTURE FOR FY 2013-14

HIGHLIGHTS
• Cash Incentive of Rs ***50000/-,Rs 40000/- & Rs 35,000/-*** to Top 3 ***"All India Topper Branch"*** on All India basis • Cash Incentive of **Rs. 25000/-, Rs 23,000/- & Rs 20,000/-** for ***"RO Toper Branch"***, 3 Top branches of each Regional Office. • Cash Incentive of **Rs. 25000/-, Rs 20000/-, Rs 18000/-** to three ***"Top Regional Office "*** on All India basis • Cash Incentive of **Rs. 15000/-** to ***"Zone Topper Regional Office "*** on All India basis, 1 Region of each Zonal Office

1. An incentive scheme was launched last year to reward outstanding performers who effectively performed and achieved the targets set by Bank for Agriculture Lending. The response was good from the field functionaries and growth in Direct Agriculture & Total Agriculture advances of our Bank in FY 2012-13, has been 34.35 % and 31.35 % respectively.

2. To motivate the Field functionaries in giving their maximum efforts towards achieving the benchmark and reward their outstanding performance, it has been decided to continue the Incentive scheme this year too. Based on the feedback from field, necessary changes have been incorporated in the methodology for selecting winners under the scheme.

   The salient features of the Scheme are as under:

3. **<u>Objective of the scheme:</u>**

   The basic objective of the scheme is to identify, recognize, motivate and suitably reward the staff members working in branches for extending advances to Agriculture.

4. **<u>Target Group:</u>**

   Branch Managers and Rural Development Officers (RDOs) at Branches and Priority Sector In-charge at Regional Offices.

5. **<u>Campaign Period:</u>**

   The campaign period is from 01.10.2013 to 31.03.2014.

6. Methodology of Calculation of Points earned by the Branches

6.1 The minimum standards of performance will be linked to disbursements made in the accounts sanctioned during the campaign period.

6.2 **1 point** will be earned for every fresh disbursement of **Rs 20,000** made under Direct Agriculture (production credit & investment credit) during the campaign period.

6.3 **1 point** will be earned for every fresh disbursement of **Rs 50,000** made under Indirect Agriculture during the campaign period.

6.4 Branches achieving percentage growth on the outstanding figure of 31.03.2014 over 31.03.2013 will earn **additional points as under :**

a) Branches achieving % growth of 15-20 % - **Additional 300 points**

b) Branches achieving % growth of 20-25 % - **Additional 500 points**

c) Branches achieving % growth of 25 % and above - **Additional 750 points**

6.5 Total points scored by each Branch will be the sum of points earned under each of the above parameters.

7. Categories of the Awards

7.1 "All India Topper Branch"

Based on the total points earned by the branches as above, 3 Branches securing highest points pan India will be selected as **"All India Topper Branch".**

7.2 "Region's Topper Branch":

Based on the total points earned by the branches as above, 3 Branches securing highest points in the Region will be selected as **"RO Topper Branch"** of the respective Region.

7.3 "All India Topper Regional Office":

Based on the sum of total points earned by all the branches of the Region, 3 Regional Offices securing highest points will be selected as **"All India Topper RO".**

7.4 " Zone Topper Regional Office":

Based on the sum of total points earned by all the Regions of the Zone, 1 Regional Office of every Zone securing highest points will be selected as **"Zone Topper Regional Office"**

8. Eligibility Criteria:

8.1 All branches across the country irrespective of the location can participate in the scheme.

8.2 However, for branches to qualify for the scheme, minimum disbursement made during the campaign period should be Rs.1.50 crores under Agriculture of which Rs 1.00 cr disbursement should be under Direct Agriculture.

8.3 Regional Offices to disburse minimum Rs 50 crores under Agriculture of which Rs.30 crores should be disbursed under Direct Agriculture during the campaign period to be eligible for the incentive scheme.

8.4 Disbursement made in accounts sanctioned prior to 01.10.2013 and after 31.03.2014 will not qualify for incentive.

9. Illustration of the Points earned by Branches-

During the campaign period if a Branch disburses:

9.1 Rs 3.00 crore under Direct Agriculture:

- Points earned **(A)** = Rs 3,00,00,000/20,000 = **1500 Points**

9.2 Rs 1.00 crore under Indirect Agriculture:

- Points earned **(B)** = Rs 1,00,00,000/50,000 = **200 Points**

9.3 Outstanding of the Branch on 31.03.2014 reaches a level of Rs 6.50 crores from outstanding level of Rs 5.00 crore on 31.03.2013 i.e. an increase of 30% over 31.03.2013.

- Additional Points earned **(C)** = **750 Points**

9.4 Total points earned by Branch would be sum of above **A + B + C** i.e. **1500+200+750 = 2450 points.**

10 Selection of winners

10.1 If a Branch/RO is selected as winner in one category, it will not be eligible for incentive under another category.

10.2 In such cases next ranked Branch under the category will be eligible for Incentive.

11 Sharing of Incentive

11.1 Branch Manager and Rural Development Officer (RDO) will share the incentive in the ratio 55:45.

11.2 In Branches where two RDOs are posted Branch Manager's share will be 40% and share of RDOs will be 30% each.

11.3 In Branches where no RDOs are posted the Branch Managers will share their incentive with the Credit office/team member who has assisted them in Agricultural Lending during the campaign period in the ratio of 50:50.

11.4 Incentive for "Top Regional Offices" will be awarded to the Priority Sector In-charge at Regional Offices who has contributed in increasing agriculture advances during the campaign period.

11.5 If BM/RDO/Officers are transferred from or to the Branch/Office during the campaign period and RO/Branch are selected for incentive, the sharing of the incentive will be in the ratio of their length of service in the Branch/RO during the campaign period.

12 Competent Authority for sanction of Incentive:

12.1 The General Manager, Rural and Agri-Business Department (RABD), will be the Competent Authority for sanction of incentive based on the ranking finalized as above.

12.2 Calculation of the points as above for selecting the winners will be done based only on the reports generated from MIS at Central Office.

13 Quantum of Incentive Proposed at various levels:

- **"All India Topper Branches"** - 3 Branches on all India basis will be selected

Rank	No. of winners	Incentive
First Rank	1	Cash Reward of Rs 50,000/-
Second Rank	1	Cash Reward of Rs 40,000/-
Third Rank	1	Cash Reward of Rs 35,000/-
TOTAL		**Rs 1,25,000/-**

- **" RO Toppers Branch"** - 3 Branches from each Region will be selected-

Rank	No. Of winners	Incentive	Total
First Rank	62	Cash Reward of Rs 25,000/-	62 X Rs 25000 = Rs 15,50,000/-
Second rank	62	Cash Reward of Rs 23,000/-	62 X Rs 23000 = Rs 14,26,000/-
Third rank	62	Cash Reward of Rs 20,000/-	62 X Rs 20000 = Rs 12,40,000/-
TOTAL			**Rs 42,16,000/-**

- **"All India Topper Regional Office"** - 3 Regions on all India basis will be selected-

Rank	No. of winners	Incentive
First Rank	1	Cash Reward of Rs 25,000/-
Second rank	1	Cash Reward of Rs 20,000/-
Third rank	1	Cash Reward of Rs 18,000/-
TOTAL		**Rs 63,000/-**

- **"Zone Topper Regional Office"** - 1 Regional Office from each Zone will be selected-

Rank	No. Of winners	Incentive	Total
First Rank	10	Cash Reward of Rs 15,000/-	10 X Rs 15,000 = Rs 1,50,000/-
TOTAL			**Rs 1,50,000/-**

Under the above incentive scheme, total 189 Branches and 13 Regional Offices will incentivized.

14 **Role of Zonal Office/Regional Offices :**

- Zonal Heads/Regional Heads should popularize the Incentive Scheme amongst the staff members working in branches and ensure their enthusiastic participation.
- Regional Heads have to form a team at RO level to guide and monitor the progress in increasing agriculture advances by the branches under their jurisdiction

15 **Role of Branch Officials:**

Branch Managers and RDOs should concentrate on financing for agriculture during the campaign period, so that they can sanction more and more new accounts under agriculture to increase our agriculture advance portfolio.

GENERAL MANAGER